



2026:AHC:127887

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 20095 सन् 2026

बृजेश कुमार

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी पक्ष (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : अर्पित पाल, मनीष कुमार त्रिपाठी

विपक्षी पक्ष (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. यह जमानत प्रार्थना-पत्र मुकदमा अपराध संख्या 158 वर्ष 2026, धारा 191(2), 190, 125, 326(ग), 333, 324(4), 115(2), 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता तथा आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 1932 की धारा 7, थाना-सेक्टर-63, जनपद-गौतम बुद्ध नगर में पंजीकृत अभियोग में आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फँसाया गया है तथा कथित अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक के समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त अनमोल एवं विवेक पाण्डेय को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा क्रमशः दिनांक 03.06.2026 एवं 05.06.2026 को आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या 19238 वर्ष 2026 तथा 19707 वर्ष 2026 में पारित आदेशों द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त जमानत आदेशों की प्रतिलिपियाँ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गईं, जिन्हें अभिलेख पर ग्रहण कर लिया गया। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक के आपराधिक पूर्ववृत्त का समुचित एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण शपथपत्र के प्रस्तर संख्या 13 में दिया गया है तथा आवेदक दिनांक 14.04.2026 से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध किया। तथापि, वह इस तथ्य का खण्डन नहीं कर सके कि आवेदक के समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त अनमोल एवं विवेक पाण्डेय को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पूर्व में जमानत प्रदान की जा चुकी है।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री का अवलोकन किया।

6. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत, विशेष रूप से इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि आवेदक के समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त अनमोल एवं विवेक पाण्डेय को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है तथा उक्त जमानत आदेशों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न तो निरस्त किया गया है और न ही उन पर स्थगन लगाया गया है, और यह भी कि आवेदक दिनांक 14.04.2026 से

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निरंतर कारागार में निरुद्ध है, मैं यह उचित समझता हूँ कि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।

7. फलस्वरूप, जमानत प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

8. आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में निरुद्ध आवेदक- **बृजेश कुमार** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के एक व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा दो सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। साथ ही, रिहाई आदेश जारी किए जाने से पूर्व जमानतदारों का विधिवत सत्यापन किया जाएगा।

(i) आवेदक एक लिखित प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत करेगा कि जिस तिथि पर साक्ष्य के लिए गवाह न्यायालय में उपस्थित होंगे, उस दिन वह किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा। यदि इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार उपर्युक्त आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर, चाहे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा। यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-ए (समतुल्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 269) के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iii) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (समतुल्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84) के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर भी वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारण

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-ए (समतुल्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 209) के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(iv) आवेदक निम्नलिखित अवसरों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा (1) वाद के प्रारंभ के समय, (2) आरोप निर्धारण के समय, तथा (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, धारा 313 के अंतर्गत उसके कथन के अभिलेखन के समय। यदि विचारण न्यायालय की राय में उक्त अवसरों पर आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए उसके विरुद्ध विधि के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

9. यदि उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो वह आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने का पर्याप्त आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

दिनांक : 17 जून, 2026

कीर्ति

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।